

## ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

दिनांक 27 मई 2017

क्रमांक 3367 /एफ-5-6/2016/तेरह : विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 180 की उप-धारा (2) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-06/2006/तेरह दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 162 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा कृत्यों के मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक, अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक, कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक, सहायक यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक तथा उपयंत्री द्वारा प्रयोग हेतु विद्युत् संस्थापनाओं के निरीक्षण तथा अनुमोदन के लिए फीस उद्गृहीत करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

### नियम

#### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत् संस्थापनाओं के निरीक्षण तथा अनुमोदन के लिए फीस का उद्ग्रहण (मध्यप्रदेश) नियम, 2017 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा।
- (3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. परिभाषाएं.-

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम (2003 का 36) ;
  - (ख) "विनियम" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (विद्युत् सुरक्षा तथा विद्युत् आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010;
  - (ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची।
- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं के वही अर्थ होंगे जो विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) तथा केन्द्रीय-विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत् आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 में समनुदेशित किए गए हैं।

3. उच्च दाब तथा अति उच्च दाब संस्थापनाओं के साथ संस्थापित मध्यम दाब उपस्करों पर कोई निरीक्षण फीस देय नहीं होगी, किन्तु उच्च दाब तथा अति उच्च दाब संस्थापनाओं में प्रत्येक बूस्टर, कैपेसिटर बैंक, जनरेटर, रियेक्टर, मोटर, ट्रांसफार्मर, ब्रेकर/पैनल के लिए फीस उनकी क्षमता के अनुसार प्रत्येक उपकरण पर भाग-एक (2) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर देय होगी।
4. मध्यमदाब/उच्च दाब/अति उच्च दाब की संस्थापनाओं में स्थापित जनरेटर के लिए फीस भाग-एक (2) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर देय होगी।
5. नवीन विद्युत् स्थापना अथवा संस्थापना के परिवर्धन/परिवर्तन के रेखाचित्र के अनुमोदन हेतु निरीक्षण फीस की दर की अस्सी प्रतिशत, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अग्रिम रूप से भुगतान करनी होगी। परन्तु यह कि निरीक्षण के समय निरीक्षण हेतु फीस अलग से देय होगी।
6. सिनेमा, एक्सरे, उच्च दाब निओनसाइन ट्यूब, लिफ्ट, एस्केलेटर एवं जनरेटर के प्रत्येक मामले में अलग-अलग निरीक्षण फीस देय होगी।
7. विवाह स्थल/भवन/नर्सिंग होम/अस्पताल/होटल /शॉपिंग मॉल की आन्तरिक स्थापना की निरीक्षण फीस अनुसूची के भाग-दो (एक) के (1) एवं (3) में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार देय होगी तथा इन संस्थापनाओं में संस्थापित ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर, इनभरटर, कन्भरटर की निरीक्षण फीस अनुसूची के भाग-एक (2) में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार देय होगी।
8. जहां कहीं भी मशीनरी या उपस्कर की क्षमता का निर्धारण किया गया हो, वहां किलोवाट के स्थान पर "किलोवोल्ट एम्पीयरस" या बी.एच.पी. या के.वी.ए.आर. पढ़ा जाएगा।
9. शासन के वाटर वर्क्स, सीवेज पम्पिंग स्टेशन को निरीक्षण फीस के उद्ग्रहण से छूट प्रदान की जाती है।
10. मध्यम दाब/उच्च दाब/अति उच्च दाब संस्थापना में स्थापित एस्केलेटर अथवा लिफ्ट स्थापित करने हेतु निरीक्षण फीस अनुसूची भाग-तीन (2) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार देय होगी।
11. सिनेमा स्थापना में लगे जनरेटर या कूलिंग प्लांट के लिए निरीक्षण फीस पृथक से देय नहीं होगी
12. फीस का भुगतान—  
फीस का भुगतान स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा शासकीय कोषालय में निम्नलिखित शीर्ष के अधीन किया जाएगा;  
सिनेमा को छोड़कर संस्थापनाओं : 0043-विद्युत् पर कर तथा फीस,  
के लिए राजस्व शीर्ष : 102-भारतीय विद्युत् नियमों के अधीन फीस  
सिनेमा के लिए राजस्व शीर्ष : 0043-विद्युत् पर कर तथा फीस,  
103-सिनेमाओं के बिजली सम्बन्धी निरीक्षण फीस  
के लिए  
तथा कोषालय का चालान विद्युत् निरीक्षक अथवा सहायक विद्युत् निरीक्षक को भेजा जाएगा।
13. फीस का भुगतान नीचे दर्शाई गई तारीखों के पूर्व किया जाएगा ;  
(1) भाग-दो (एक) (2) एवं (दो) (2) से भिन्न विद्यमान संस्थापनाओं के लिए फीस का भुगतान प्रत्येक वर्ष एक मई के पूर्व किया जाएगा। मध्यप्रदेश पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड की संस्थापनाओं के लिए फीस का भुगतान, निरीक्षण के उपरांत बिल की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर किया जाएगा।

- (2) भाग-दो (दो) (2) के अधीन आने वाली संस्थापनाओं के लिए संबंधित अर्द्धवार्षिक फीस का भुगतान एक मई तथा एक नवम्बर के पूर्व किया जाएगा। उपरोक्त तारीखों पर संस्थापना उपयोग में नहीं लाए जाने की दशा में प्रत्येक अर्द्ध वर्ष के लिए फीस का भुगतान संस्थापना के उपयोग करने के पूर्व किया जाएगा।
  - (3) ऐसी नवीन उच्च दाब/अति उच्च दाब/ई एच टी/जनरेटर, संस्थापनाएं या नए सिनेमा के लिए, जिसमें उनके परिवर्धन या परिवर्तन भी सम्मिलित हैं, फीस का भुगतान अग्रिम में किया जाएगा और कोषालय चालान विद्युत् निरीक्षक अथवा सहायक विद्युत् निरीक्षक को, ऐसी संस्थापना के निरीक्षण या अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र के साथ भेजा जाएगा। नवीन संस्थापनाओं के लिए निरीक्षण फीस, अनुसूची में भाग-एक (2) में यथाविनिर्दिष्ट दर की 150 प्रतिशत देय होगी।
  - (4) अन्य नई संस्थापनाओं जिनमें उनका परिवर्धन या परिवर्तन भी सम्मिलित है और मौसमी कारखानों के लिए फीस का भुगतान संस्थापनाओं को उपयोग में लाये जाने के पूर्व किया जाएगा।
  - (5) अतिरिक्त निरीक्षण के लिए देय फीस का भुगतान प्रत्येक मामले में विद्युत् निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पूर्व किया जाएगा।
  - (6) भाग-एक (6) प्रवर्ग के अधीन स्थापनाओं के लिए फीस का उदग्रहण केवल ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती निरीक्षण के लिए किया जाएगा जो विद्युत् अधिनियम, 2003 या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के भंग होने के कारण आवश्यक हो गया हो। एक ही पोल से ली जाने वाली प्रत्येक सर्विस लाईन की फीस का भुगतान अलग-अलग किया जाएगा।
14. खण्ड (13) में दर्शाई गई तिथि के पूर्व फीस का भुगतान नहीं किए जाने की दशा में देय फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
  15. निरीक्षण या अतिरिक्त निरीक्षण नहीं किये जाने की दशा में, संदत्त फीस का समायोजन पश्चात्वर्ती वर्ष अथवा छह माही में किए जाने वाले भुगतान के विरुद्ध किया जाएगा
  16. यदि किसी नई संस्थापना का उपयोग वित्तीय वर्ष के अंतिम दो माह के दौरान किया जाता है, तो संदत्त वार्षिक फीस के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उसका भुगतान उस वर्ष की, जिसमें कि फीस का भुगतान किया गया है, अल्प कालावधि के तथा साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष की पूर्ण कालावधि के लिए किया जा चुका है।
  17. यदि किसी संस्थापना का निरीक्षण किए जाने के पूर्व ही उसे विच्छेदित (डिस्कनेक्ट) कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो, तो कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।
  18. किसी मोटर या अन्य साधित्र की दशा में, जिसे 15 दिन से अनाधिक की कालावधि के लिए ऊर्जाकरण के प्रयोजन के लिए संस्थापित किया गया हो तो कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।
  19. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "वर्ष" से अभिप्रेत वित्तीय वर्ष है।
  20. विहित की गई फीस दर्शाई गई निरीक्षण की आवृत्ति के अनुसार प्रत्येक नियतकालिक निरीक्षण के लिए देय होगी। प्रथम या प्रारम्भिक निरीक्षण के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह उस कालावधि के लिए जिसमें कि निरीक्षण किया गया हो, नियतकालिक निरीक्षण है। विद्युत् अधिनियम, 2003 या उनके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों या सिनेमाटोग्राफ नियम तथा विनियम के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का भंग पर किए गए प्रत्येक अतिरिक्त निरीक्षण पर पूर्व में लिए निरीक्षण फीस 50 प्रतिशत प्रभारित की जाएगी।
  21. परीक्षण की फीस भाग-चार में उद्गृहीत है।

## निरीक्षण फीस हेतु अनुसूची

### भाग-एक

250 वोल्ट तक, 250 वोल्ट से अधिक तथा 650 वोल्ट तक एवं 650 वोल्ट से अधिक की उपभोक्ता, उत्पादक, लायसेन्सी एवं फ्रेन्चायजी की विद्युत् संस्थापनाओं का निरीक्षण एवं परीक्षण फीस -

संस्थापना का वर्ग	स्थापना की क्षमता	प्रत्येक निरीक्षण के लिए फीस रु. में	निरीक्षण की आवृत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>(1) उपभोक्ताओं की संस्थापनायें (सिनेमा/जनरेटिंग स्टेशन को छोड़कर)</b>			
उपभोक्ताओं, जनरेटिंग कंपनी ट्रांसमिशन कंपनी, वितरण कंपनी, फेंचाइजी की स्थापनाएं	1. कृषि पम्प	20	5 वर्ष में एक बार
	2. अन्य संस्थापनाएं		
	क- 10 हा.पा. (अश्व शक्ति) तक		वर्ष में एक बार
	(एक) आटा चक्की (ग्रामीण)	100	
	(दो) आटा चक्की (शहरी)	200	
	(तीन) अन्य	200	
	ख- 10 हा.पा. (अश्व शक्ति) से अधिक और 50 हा.पा. (अश्व शक्ति) तक	300	
ग- 50 हा.पा. (अश्व शक्ति) से अधिक	500		
<b>(2) 250 वोल्ट तक एवं उससे अधिक की विद्युत् संस्थापनाएं</b>			
ट्रांसफार्मर, बूस्टर, केपेसिटर्स बैंक, रियेक्टर, पावर स्टेशन, मोटर एवं जनरेटिंग सेट			
उपभोक्ताओं, जनरेटिंग कंपनी ट्रांसमिशन कंपनी, वितरण कंपनी, फेंचाइजी की स्थापनाएं	1. 25 के.व्ही.ए. तक	300	वर्ष में एक बार
	2. 25 के.व्ही.ए. से अधिक और 100 के.व्ही.ए. तक	1000	
	3. 100 के.व्ही.ए. से अधिक और 500 के.व्ही.ए. तक	2000	
	4. 500 के.व्ही.ए. से अधिक और 1000 के.व्ही.ए. तक	4000	
	5. 1000 के.व्ही.ए. से अधिक और 5000 के.व्ही.ए. तक	6000	
	6. 5000 के.व्ही.ए. से अधिक और 10000 के.व्ही.ए. तक	12000	
	7. 10000 के.व्ही.ए. से अधिक और 50000 के.व्ही.ए. तक	16000	
	8. 50000 के.व्ही.ए. से अधिक	20000	

(3) 650 वोल्ट से अधिक क्षमता की स्थापना के ब्रेकर/पेनल			
उपभोक्ताओं, जनरेटिंग कंपनी ट्रांसमिशन कम्पनी, वितरण कंपनी, फ्रेंचाइजी की स्थापनाएं	1. 11 के.व्ही.तक	500	नवीन/ परिवर्धन/परिवर्तन के समय
	2. 11 के.व्ही. से अधिक और 33 के.व्ही. तक	1000	
	3. 33 के.व्ही. से अधिक और 132 के.व्ही. तक	2000	
	4. 132 के.व्ही. से अधिक और 220 के.व्ही तक	3000	
	5. 220 के.व्ही. से अधिक और 400 के.व्ही. तक	4000	
	6. 400 के.व्ही. से अधिक	5000	
(4) 650 वोल्ट से अधिक ओवरहेड लाइन की नवीन स्थापना			
उपभोक्ताओं, जनरेटिंग कंपनी ट्रांसमिशन कम्पनी, वितरण कंपनी, फ्रेंचाइजी की स्थापनाएं	लाइन के प्रत्येक सर्किट और किलोमीटर या उसके भाग के लिए		नवीन/ परिवर्धन/परिवर्तन के समय
	1. 11 के.व्ही तक	200	
	2. 11 के.व्ही से अधिक और 33 के.व्ही तक	500	
	3. 33 के.व्ही से अधिक और 132 के.व्ही तक	1000	
	4. 132 के.व्ही से अधिक और 220 के.व्ही तक	2000	
	5. 220 के.व्ही से अधिक और 400 के.व्ही तक	3000	
6. 400 के.व्ही से अधिक	5000		
(5) 650 वोल्ट एवं उससे अधिक वोल्ट वाले केबल्स /बसडकट (ओवरहेड लाइन को छोड़कर) की नवीन स्थापना			
उपभोक्ताओं, जनरेटिंग कंपनी ट्रांसमिशन कम्पनी, वितरण कंपनी, फ्रेंचाइजी की स्थापनाएं	1. 11 के.व्ही तक		नवीन/ परिवर्धन/परिवर्तन के समय
	अ- प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिए	500	
	ब- प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए	200	
	2. 11 के.व्ही से अधिक 33 के.व्ही तक		
	अ- प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिए	1000	
	ब- प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए	500	
	3. 33 के.व्ही से अधिक		
	अ- प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिए	2000	
ब- प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए	1000		

(6)- शीर्ष (4) के अन्तर्गत न आने वाली ओवरहेड लाइनें			
उपभोक्ताओं, जनरेटिंग कंपनी ट्रांसमिशन कंपनी, वितरण कंपनी, फ्रेंचाइजी की स्थापनाएं	प्रत्येक स्पान के लिए	50	
	प्रत्येक क्रॉसिंग के लिए	200	
भाग-दो धारा 54 (विद्युत् अधिनियम 2003) के अधीन			
(एक) विद्युत् अधिनियम 2003 की धारा 54 के अधीन स्थापनाएं ( 33 के.व्ही. तक की स्थापनाएं)	(1) विवाह के स्थायी स्थान		वर्ष में एक बार
	(क) 100 के.व्ही.ए तक की स्थापनाएं	1000	
	(ख) 100 के.व्ही.ए से अधिक और 500 के.व्ही.ए तक की स्थापनाएं	2000	
	(ग) 500 के.व्ही.ए से अधिक और 1000के.व्ही.ए तक की स्थापनाएं	3000	
	(घ) 1000 के.व्ही.ए से अधिक की स्थापनाएं	5000	
	(2.) विवाह के लिए अस्थाई स्थान	1000	प्रत्येक संयोजन के पूर्व
	(3) नर्सिंगहोम/अस्पताल/होटल/शॉपिंग मॉल		
	(क) 100 के.व्ही.ए तक की संस्थापनाएं	2000	
	(ख) 100 के.व्ही.ए से अधिक 500 के.व्ही.ए तक की संस्थापनाएं	3000	
	(ग) 500 के.व्ही.ए से अधिक की संस्थापनाएं	5000	
(दो)- सिनेमा या अन्य सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान	1. स्थायी सिनेमा या थियेटर या मल्टीप्लेक्स (प्रति स्क्रीन)	2000	वर्ष में एक बार
	2. चलता फिरता (ट्रेवलिंग) सिनेमा या सार्वजनिक मनोरंजन के अस्थायी स्थान (साधन)	1000	वर्ष में दो बार
(तीन)- अन्य उच्च दाब संस्थापनाएं	उपकरण जैसे एकसरे, निओन साइन, सी.टी. स्केन आदि	1000	वर्ष में एक बार
भाग-तीन : अन्य विद्युत् संस्थापनाएं			
(1)-बहु मंजिला भवन	प्रत्येक बहुमंजिला भवन के लिए	2000	वर्ष में एक बार
(2) - लिफ्ट/ एस्केलेटर की संस्थापनाएं	प्रत्येक लिफ्ट/ एस्केलेटर संस्थापना के लिए	2000	वर्ष में एक बार

### भाग-चार : साधित्रों का परीक्षण

(1) मीटरों के परीक्षण तथा अन्य परीक्षणों के लिए निम्नानुसार फीस देय होगी

अनुक्रमांक	परीक्षण किए गए परीक्षण/उपस्कर का नाम	देय फीस (रु० प्रति मीटर / प्रति परीक्षण )
(1)	(2)	(3)
(क)	एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर	200
(ख)	इनर्जी मीटर	
	20 एम्पीयर तक के	500
	20 एम्पीयर से अधिक	1000
(ग)	इन्सुलेशन टेस्टर -	
	500 वोल्ट	500
	500 वोल्ट से अधिक	800
(घ)	ऑयल टेस्ट, डाय इलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ/एसीडिटी टेस्ट	300
(ङ)	इन्सुलेशन टेस्ट -	
	निम्न तथा मध्य दाब	200
	उच्च तथा अति उच्च दाब	500
(च)	वोल्टेज टेस्टिंग	200
(छ)	अर्थ टेस्टर	500

## विद्युत् साधित्रों तथा अन्य परीक्षणों के परीक्षण हेतु आवेदन का प्ररूप

प्रति,

विद्युत् निरीक्षक,  
.....

हम उपस्कर/नमूने के परीक्षण के लिए निम्नानुसार ब्यौरे प्रस्तुत कर रहे हैं :-

1. उपस्कर का नाम,
2. उपस्कर के निर्माता का नाम,
3. उपस्कर का विनिर्माण क्रमांक,
4. उपस्कर की क्षमता तथा वोल्टेज,
5. नमूने (सैम्पल) का ब्यौरा,
6. नमूना (सैम्पल) लेने की तारीख,
7. नमूना (सैम्पल) लेने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदाभिधान,

हम एतद्वारा यह करार करते हैं कि विद्युत् निरीक्षक की अभिरक्षा में साधित्रों के रहते समय उनमें किसी भी कारण से हुए नुकसान या हानि के लिए मध्यप्रदेश सरकार या विद्युत् निरीक्षक से कोई भी प्रतिकार नहीं मांगेगे।

स्थान :

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पदाभिधान

संगठन का नाम.....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव.